



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjalpur@gmail.com rsscscocachingjalpur@gmail.com

Phone – 0141-2744283, 0141-2742468



क्रमांक : एफ.5/6/के.प्र.शि.जयपुर/2024-25/301

दिनांक : 9/5/2024

ई-निविदा सूचना संख्या 53 दिनांक 10/5/2024

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा माह मई-जून, 2024 में 22 दिवसीय केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर में भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। संबन्धित पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

1. निविदा के कार्य का नाम	:	केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर, वर्ष 2024-25 में भोजन व्यवस्था (माह मई-जून, 2024 में 22 दिवसीय)
2. अनुमानित लागत	:	33.00 लाख रुपये
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	:	दिनांक 10.05.2024 से
3. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	20.05.2024 दोपहर 1:00 बजे तक
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	:	20.05.2024 को दोपहर 4:00 बजे

क्र. सं.	कार्य का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	1000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	20.05.2024 दोपहर 3:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
2	धरोहर राशि	66000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
3	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director RISL (Payable at Jaipur)

(सोहन राम चौधरी, RAS)
सचिव



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर



E-mail: rsscjalpur@gmail.com rsscocoachingjalpur@gmail.com Phone – 0141-2744283, 0141-2742468

क्रमांक : एफ.5 / 6 / / के.प्र.शि.जयपुर / 2024-25 /

दिनांक :

ई-निविदा सूचना संख्या...53..... दिनांक 10/5/2024

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, द्वारा केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर, वर्ष 2024-25 हेतु भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा केवल अधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही ऑन-लाईन बिड आमंत्रित की जाती है। आवेदक द्वारा ऑन-लाईन बिड के अन्तर्गत चाहे गये तकनीकी दस्तावेज के साथ EMD, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस शुल्क जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में देय होगा को डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व ऑफ लाईन जमा कराना होगा। ऑन-लाईन तकनीकी / वित्तीय बिड दिनांक 20.05.2024 दोपहर 1:00 बजे तक Online प्रस्तुत की जा सकेगी।

तकनीकी बिड दिनांक 20.05.2024 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों की वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों का अवलोकन आई.डी. संख्या के अन्तर्गत www.rssc.ineproc@rajasthan.gov.in एवं www.sppp.nic.in पर किया जा सकता है।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी भी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट-(DSC) जो कि Class-III की होना आवश्यक है। बिड डालने से पूर्व DSC eproc@rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141-4022688 or mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सोहन राम चौधरी, RAS)
सचिव



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर



E-mail: rsscialpur@gmail.com mrssccoachinglalpur@gmail.com Phone – 0141-2744283, 0141-2742468

निविदा/बोली शुल्क रूपये 1000/-
ई टेण्डर प्रक्रिया शुल्क 500/-
निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि :- 20.05.2024 समय दोपहर 01.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की अंतिम तिथि :- 20.05.2024 समय दोपहर 04.00 बजे

भोजन व्यवस्था हेतु ई-बोली संख्या 53 दिनांक 10/5/2024

- बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म-का नाम एवं डाक का स्थाई पता
.....
.....
.....
- दूरभाष संख्या मोबाइल नम्बर
.....ई-मेल आईडी.....
- बोली जिसमें सम्बोधित की जानी है :- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
- बोली शुल्क की राशि रूपये 1000/- रूपये मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
- हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा जारी की गई इस बोली में वर्णित सभी शर्तों तथा उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते हैं।
- तकनीकी बिड/वित्तीय बिड विधिवत ऑन-लाईन प्रस्तुत करना होगा।
- प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500/- रूपये का डी0डी0 जो कि MD. RISL, Jaipur के पक्ष में देय करना अनिवार्य होगा।
- बोलीदाता को केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर हेतु अमानत राशि रूपये 66000/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होंगे।
- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संलग्न मीनू अनेक्चर "ई" (जिसे हमने देख लिया है) के अध्ययन उपरान्त अनुमोदित/निर्धारित मीनू दी गई मात्रा के अनुसार निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के लिए सहमति देता हूं।
- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित स्थान पर भोजन व्यवस्था कर दी जावेगी।

11. भोजन उत्कृष्ट गुणवत्ता का होगा। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। कमेटी द्वारा समय-समय पर जांच की जायेगी।
12. ऊपर उद्धरित की गई दरें कार्य आदेश की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
13. बोलीदाता की सशर्त बोली को रद्द समझा जावेगा। बालक व बालिकाओं की वास्तविक उपस्थिति के अनुसार फर्म को भुगतान किया जावेगा।
14. निर्धारित भोजन मीनू में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य कीडा परिषद में सुरक्षित है।
15. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम व पता

मोबाईल नंबर



प्रतिबंध एवं शर्तें

टिप्पणी :- ई-बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी ई-बोली भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1. तकनीकी एवं फाईनेशियल बोलीओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन अपलोड नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलीओं पर समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. बोलीदाता को केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर हेतु अमानत राशि रुपये 66000/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर, के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होंगे।
4. बोलीदाता द्वारा दरे उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरे सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय, सायं का ज्यूस एवं रात्रि भोजन की पृथक-पृथक ऑनलाईन अंकित की जानी चाहिए।
5. न्यूनतम बोलीदाता की दर निर्धारण के लिए बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तुत कुल राशि को आधार माना जावेगा। जिसके आधार पर Lowest का निर्धारण होगा।
6. बोलीयें उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप भाडे पर नहीं देगा।
8. बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. अमानत राशि :-
 - (क) बोलीदाता को केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर हेतु अमानत राशि रुपये 66000/- का बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - (ख) असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
10. अमानत राशि का समपहरण :- अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :-
 - (i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
 - (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।
 - (iii) जब बोलीदाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - (iv) जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता है।
11. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-
 - (i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से तीन दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयें स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति/धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करानी होगी।
 - (ii) बोली के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति/धरोहर राशि के लिये समायोजित कर लिया जावेगा।

- (iii) प्रतिभूति/धरोहर राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (iv) प्रतिभूति/धरोहर राशि के रूप में निम्न मान्य होंगे :-
- (क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
- (vi) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया में नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर लौटा दी जावेगी।
12. प्रतिभूति/धरोहर राशि का समपहरण :- प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :-
- (i) जब संविदा की शर्तों का उल्लघन किया गया हो।
- (ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो।
- (iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार, सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।
14. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
15. ठेकेदार द्वारा शर्तों के उल्लघन करने पर अनुपातिक रूप से ठेके की राशि में से कटौती की जावेगी।
16. ठेकेदार द्वारा ई-बोली के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं खाद्य लाइसेंस (वेज एवं नॉन वेज दोनों सहित) संलग्न किये जायेगें।
17. ठेकेदार को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर एवं अन्य देय कर की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।
18. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
19. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।
20. ई-बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
21. बोलीदाता/फर्म को बैंक लिस्ट में अंकित विवरण अनुसार विगत 5 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में किसी सरकारी, अनुदानित एवं स्वायत्तशासी संस्था द्वारा आयोजितप्रशिक्षण शिविर/प्रतियोगिताओं/सरकारी आयोजनों/खेल अकादमियों में भोजन व्यवस्था से संबंधित किये गये कार्यों के कार्य आदेश एवं कार्य संतोषजनक के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। कार्यादेश हेतु विगत पांच वर्षों में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 19.80 लाख का एकल कार्यादेश या 13.20 लाख के दो कार्यादेश या 9.90 लाख के तीन कार्यादेश होने चाहिए।

22. बोलीदाता/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में औसत टर्न ओवर 33.00 लाख से कम नहीं होना चाहिये। इस हेतु बोलीदाता को टर्न ओवर के संबंध में उक्त वर्षों के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र मय यूडीआई नं० के हस्ताक्षर मय सील के प्रति संलग्न करनी होगी।
23. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान लगभग 600 प्रतिभागियों को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी। तथापि शिविर प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व व शिविर समाप्ति के एक दिन पश्चात एक टाईम का भोजन आदेशित मात्रा में देना होगा। जो बोली का अंग होगा तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बोली मूल्य अंकित किया जावे। भोजन व्यवस्था की संख्या में कमी या वृद्धि यथा आवश्यकता की जा सकती है परन्तु ऐसी कमी या वृद्धि का प्राप्त बोली की दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वास्तविक उपस्थित संख्या के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।
24. संस्था के भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नहीं रहेगा। भोजन कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी/कोविड से पीड़ित नहीं होना चाहिए। भोजन कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक उपस्थित रहेगे, इसके पूर्व उपस्थित होना स्वेच्छा पर निर्भर रहेगा। बाल मजदूरी निषेध रहेगी।
25. भोजन बनाने हेतु उपयोग में लिया जाने वाला आवश्यक गैस की भट्टी, गैस, आदि की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी। अतः समेकित दर खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने की दरें मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, भट्टी की मरम्मत-रखरखाव, खाना बनाने के बर्तन, पानी एकत्र करने के बर्तन, खाने के बर्तन, फ्राकरी-कटलरी एवं अन्य आवश्यक उपयोगी बर्तन मय समस्त करों एवं अनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावे। गैस सिलेण्डर नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी का उपयोग लेना सुनिश्चित करें।
26. खिलाड़ियों हेतु दोनों समय चाय, नाश्ता, भोजन बनाना, बनाने खाने के बर्तनों की सफाई एवं परोसने आदि कार्य करने होंगे। बनाने एवं खाने के बर्तनों की साफ-सफाई पूर्ण स्वच्छता से कर साफ कपड़े से पौछंकर परोसनी होगी।
27. बोलीदाता को रसोई कक्ष, भोजन स्थल पर पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।
28. भोजन व्यवस्था प्रशिक्षणार्थियों/अधिकारी/कर्मचारी/ प्रशिक्षक/अन्य मेहमान आदि के लिए टेबिल पर सर्व करने की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
29. गुणवत्ता में अतिउत्तम एगमार्क सौ किलोग्राम गेहूं के आटे में 15 किलोग्राम सोयाबीन पाउडर मिलाकर चपाती/रोटी बनानी होगी।
30. यह प्रतिष्ठित केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर है। अतः भोजन की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। खाने में अतिउत्तम गुणवत्ता एगमार्क की रिफाईण्ड तेल व मसालों को ही प्रयोग में लाना होगा। परिषद कार्यालय के अधिकारी द्वारा तैयार भोजन/कच्चा माल निर्धारित मानक स्तर से निम्न स्तर का पाये जाने पर परिषद अधिकारी के निर्देशानुसार तुरंत शिविर स्थल से हटाना होगा एवं अनुमोदित बोली दाता उच्च स्तर का तैयार भोजन तत्काल उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा इस हेतु उस दिन विशेष का कोई भुगतान बोलीदाता को देय नहीं होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित बोलीदाता की होगी।
31. अनुमोदित बोलीदाता भोजन हेतु आवश्यक कच्चे माल यथा आटा, मसाले, तेल इत्यादि की प्रतिदिन परिषद कार्यालय के अधिकारी से चैक कराने हेतु बाध्य होगा।
32. भोजन बनाने व परोसने में स्वच्छता के मापदण्डों का पालन किया जायेगा। किसी कारण खाद्य अपमिश्रण (रोकथाम) अधिनियम 1955 के तहत मास फूड पॉयजनिंग जैसी घटना घटित होती है तो बोलीदाता इसके लिए जिम्मेदार होगा।
33. भोजन कार्यों का विवरण में दिये गये भोजन कार्य को करते समय यदि किसी भोजन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि लेने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
34. यदि कर्मचारियों की नियमानुसार कोई कटौती की जानी है तो इस प्रकार की कटौती को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
35. ठेके की अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाती है और संस्था इस अवधि में भोजन कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था पर की गयी व्यय राशि ठेकेदार से वसूलनीय होगी। यह राशि ठेकेदार के बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। इसके उपरान्त भी राशि शेष रहती है तो बोलीदाता जमा कराने का बाध्य होगा।


36. बोलीदाता द्वारा अपने भोजन कर्मचारियों की हाजरी पंजिका संस्था के मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर्मचारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करानी होगी। बोलीदाता द्वारा नियुक्त रसोई कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।
37. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसाई की सफाई एवं कचरे का उचित प्रकार से निस्तारण व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी।
38. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के चाल-चलन, चरित्र आदि के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा।
39. चाय, नाश्ता एवं भोजन का भुगतान वास्तविक उपस्थिति के अनुसार किया जावेगा।
40. सभी वेटर एक निश्चित ड्रेस में उपस्थित रहेंगे एवं निर्देशानुसार कार्य करेंगे। ड्रेस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता को होगी।
41. यदि बोलीदाता संतोषप्रद भोजन सामग्री यथा आवश्यकता व अवधि में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत वसूलनीय होगी।
42. कार्य समाप्ति के पश्चात् बोलीदाता द्वारा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।
43. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जावेगी। अन्यत्र नहीं की जायेगी।
44. प्रतिदिन सर्व करने वाले मेन्सू को एक फ्लेक्स बोर्ड पर भोजन पाण्डाल के बाहर आसानी से दर्शित होने पर स्थान पर लगाना होगा।
45. **परिसमापित नुकसानी :-**

1. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए।	
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए।	2.5 %
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अनधिक के लिए।	5 %
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए।	7.5 %
	10 %

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
4. यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकती है।
46. **वसूली :-**परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त कि अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
47. आर. टी. पी. पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम की शेष शर्तें भी लागू होगी।
उपरोक्त भोजन कार्य संबंधी शर्तें मैने/हमने पढ ली है, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर ई-बोलीदाता
मोबाईल नम्बर



Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :


Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :



Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy.Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan,Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,


- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1st Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2nd Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3rd Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



Rajasthan State Sports Council


Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Menu Chart

Prescribed for the players participating in Central Coaching Camp, Jaipur in May and June, 2024-25

Morning Tea	5.40 AM to 6.00 AM	1. One Cup of tea 150 ML.
		2. Two Biscuit glucose (Parle-G)
Break Fast	8.30 AM to 9.30 AM.	1. Sweet Dalia of wheat 50g. (Dry)
		2. Sprouted gram 50gm.
		3. Sweet Milk (full cream) 250 ml.
		4. Bread Slices 4 (Two Pc with 20gm Butter and Two pc with 20gm Gem)
		5. Two Awala muraba 100gram or 2 Boiled Eggs (As per Players Choice).
		6. 100g. Jalebi (Sunday only)
Lunch	12.00 PM to 1.00 PM.	1. Tandoori/Tava Roti (As per Players Choice) and Mix Grain Roti on Sunday.
		2. Rice Basmati
		3. Dal/Curry
		4. Curd 150gm.
		5. Green Vegetable
		6. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc.)
		7. Fresh Fruit 150gm.
		8. Papar
		9. Achar (Mix)
Evening Tea	3.50 PM	1. One Cup of tea 150 ML.
		2. Two Biscuit glucose (Parle Namkeen)
Evning Juice	6.30 PM	1. 200 ML. Fresh Fruit Juice
Dinner	8.00 PM to 9.30 PM	1. Tandoori/Tava Roti (As per Players Choice) and Mix Grain Roti on Sunday.
		2. Rice Basmati
		3. Dal
		4. Green Vegetable
		5. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc.)
		6. Papar
		7. Sweet/Ice Cream 100gm.
		8. Three times a week. (i) For Non-Veg. meat 150gm. (Two times in a week Chicken and One time in a week mutton.) (ii) For Veg. Malai Kofta or matar paneer 150gm.

Signature of the E-Bidder



बोलीदाताओं द्वारा घोषणा जो तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी है

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर, वर्ष 2024-25 हेतु भोजन व्यवस्था जिन के लिए निविदा दी है, उसके लिए मैं/हम सक्षम हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो हमारे विरुद्ध सभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत अनर्हकारी माना जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता का नाम-----

पूर्ण पता-----

टेलिफोन नं. (निवास)-----

(कार्यालय).-----

फैक्स/ई-मेल -----



FINANCIAL BIDS

1. बोलीदाता का नाम.....
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (कार्यालय).....
(निवास)
- (पैन नं0)
4. केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जयपुर, जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है।
वित्तीय बिडभोजन व्यवस्था के लिये निर्धारित मीनू एनेक्सर "ई"के अनुसार दरें निम्न प्रकार होगी।

FORMAT FOR PRICE QUOTATIONS OF ITEMS

क्र. सं.	समय	भोजन का विवरण	प्रति खिलाड़ी/प्रतिदिन राशि रुपये	
			अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5
1	Morning Tea	1. One Cup of tea 150 ML. 2. Two Biscuit glucose (Parle-G)		
2	Break Fast	1. Sweet Dalia of wheat 50g. (Dry) 2. Sprouted gram 50gm. 3. Sweet Milk (full cream) 250 ml. 4. Bread Slices 4 (Two Pc with 20gm Butter and Two pc with 20gm Gem) 5. Two Awala muraba 100gram or 2 Boiled Eggs (As per Players Choice). 6. 100g. Jalebi (Sunday only)		
3	Lunch	1. Tandoori/Tava Roti (As per Players Choice) and Mix Grain Roti on Sunday. 2. Rice Basmati 3. Dal/Curry 4. Curd 150gm. 5. Green Vegetable 6. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc.) 7. Fresh Fruit 150gm. 8. Papar 9. Achar (Mix)		
4	Evening Tea	1. One Cup of tea 150 ML. 2. Two Biscuit glucose (Parle Namkeen)		
5	Evening Juice	1. 200 ML. Fresh Fruit Juice		

6	Dinner	1. Tandoori/Tava Roti (As per Players Choice) and Mix Grain Roti on Sunday.		
		2. Rice Basmati		
		3. Dal		
		4. Green Vegetable		
		5. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc.)		
		6. Papar		
		7. Sweet/Ice Cream 100gm.		
		8. Three times a week. (i) For Non-Veg. meat 150gm. (Two times in a week Chicken and One time in a week mutton.) (ii) For Veg. Malai Kofta or matar paneer 150gm.		
	कुल राशि प्रति खिलाड़ी/प्रतिदिन रूपये (समस्त कर सहित)			

न्यूनतम कुल राशि चयन का आधार होगी।

बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय मोहर

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

बोलीदाता का नाम व पता

.....

.....

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)
1	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया।	
2	तकनीकी बिड के अनुसार नियमानुसार टेण्डर, प्रोसेसिंग एवं अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति संलग्न है।	
3	GST पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	
4.	GSTदेयता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रपत्र GST R-3Bमें मार्च, 2024 की संलग्न की गई।	
5.	PAN No.की छाया प्रति संलग्न है।	
6.	Experience of having successfully completed simillar works (Food Work) during last 5 years (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 & 2023-24) should be either of the following (As per condition No. 21) :- (i) Three simillar completed works costing not less than the amount equal to 30% of the estimate cost. OR (ii) Two simillar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimate cost. OR (iii) One simillar completed works costing not less than the amount equal to 60% of the estimate cost.	
7	Certificate from Chartered Accountant having UDIN for the proof of average annual turnover during the last 3 year (2020-21 to 2022-23) should be at least 33.00 Lacs.	
8	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य पदार्थ तैयार कर आपूर्ति करने का लाइसेंस की छायाप्रति (वेज एवं नॉनवेज)।	
9	Certificate for Proprietorship of authorization by Firm.	
10	Declaration of blacklisted court cases/dispute/claim with arbitration court/consumer forum.	
11	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहे।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

